न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0

मि0न0 04 /अपील (आर0टी0आई) / 2022

दोलत सिंह
निवासी ग्राम कनवाडी पोस्ट गुणदी तह0 सुनेल जिला,झालावाड़
बनाम
लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी पिडावा

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: **निर्णय** ::– दिनांक:15.02.2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी,पिडावा से सूचना चाही जाने पर उनके द्वारा सूचना नही दी गई है प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.12.2021 को सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी,पिड़ावा से प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम पंचायत कनवाडी में दिनांक 02.12.2021 को हुए आंवटन सम्बन्धि कार्यो की सम्पूर्ण पत्रावलियों की प्रमाणित सूचना चाही गई थी। प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भिजवाया जाकर सुनवाई हेतु दिनांकः 08.02.2022 नियत कर आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

अपीलार्थी उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी,पिड़ावा द्वारा उपस्थित हो जवाब पेश किया गया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रा0पत्र लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर वांछित सूचना अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही होने पर अपील प्रस्तुत की गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा पंत्राकः 212/आरटीआई/22 दिनांक 07.02.2022 से अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के संबन्ध में प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान दिनांकः 02.12.2021 को ग्राम पंचायत कनवाडी में कोई आवंटन/नियमन नही किया गया बाबत आवेदक को कार्यालय के पत्रांक 5569 दिनांकः 20.12.2021 से सूचित कर दिया गया था। इस प्रकार जब दिनांकः 02.12.2021 को ग्राम पंचायत कनवाडी में कोई आवंटन/नियमन हुआ ही नही तो लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध क्या कराते उनके द्वारा इस बाबत आवेदक को सूचित भी किया जाना जाहिर है। अपीलार्थी का दौराने सुनवाई न्यायालय हाजा में उपस्थित नही होने से भी इस तथ्य की पुष्टी होती है कि उनको ग्राम पंचायत कनवाडी में कोई आवंटन/नियमन नही किया गया बाबत लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा भिजवाई गई सूचना मिल चुकी है। उपरोक्त विवेचन से अपील मे अग्रिम कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 15/2/22 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर झालावाड
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़

क्रमांकः 76-78 / रीडर / 22 दिनांक 17.02.22

प्रतिलिपिः– 01. प्रभारी अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम,कलक्ट्रेट,झालावाड
02.लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी,पिडावा
03.दोलत सिह,निवासी ग्राम कनवाडी पोस्ट गुणदी तह0 सुनेल जिला,झालावाड (राज0)

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर झालावाड
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़